संख्या तारीख	आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
05/12/2020	**उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा** F.S.S.A. Case No. 08/2019-20 सरकार **बनाम** भीम चन्द्र सेन **आदेश** प्रस्तुत वाद अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अभिहित पदाधिकारी, जामताड़ा के पत्रांक-07/खाद्य, दिनांक-06.02.2020 के आलोक में दायर है। दिनांक-31.08.2019 को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा भीम चन्द्र सेन, चैनपुर मारकेट, नारायणपुर, थाना-नारायणपुर, जिला-जामताड़ा के दुकान से 250ग्राम का चार पैकेट एक गवाह के समक्ष खरीदा गया एवं इसे साफ सुखी शीशी/डब्बा में बंद कर के शील मोहर लगा दिया गया। नमुना को JMT/030/2019-20 दिनांक-31.08.2019 अंकित किया गया। इसकी सूचना प्रपत्र-V(A) में निर्गत कर भीम चन्द्र सेन को तामिला किया गया। उक्त नमुना का विश्लेषण हेतु Food Analyst, State Food Testing Laboratory, Namkum, Ranchi भेजा गया। Food Analyst, State Food Testing Laboratory, Namkum, Ranchi में बेसन के नमुना का दिनांक-04.09.2019 से 16.09.2019 तक जाँच किया गया। राज्य खाद्य जाँच प्रयोगशाला नामकुम, राँची के खाद्य विश्लेषक द्वारा दिये गये Report No. CM:452/FSSAI/2019 दिनांक-16.09.2019 के अनुसार नमुना में Total Ash, Ash Insoluble in dil. HCL, Test For B.O.A.A. Microscopic Test एवं Test For Colour क्रमाशः 2.12%, 0.21%, Negative, Pea Starch present Gram starch absent, Unpermitted Oil Solubel colour पाया गया जबकि Prescribed Standard as per provision of FSS Act. Rules And Regulation के अनुसार इस तत्व का मानक मात्रा क्रमाशः NMT 5.0%, NMT 0.5%, Absent, Only Gram Starch should be present, and Absent होना चाहिए। Total Ash, Ash Insoluble in dil. HCL, Test For B.O.A.A. Microscopic Test एवं Test For Colour की प्रतिशत मात्रा में अंतर पाये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के धारा-3(1) (ZX) के तहत उक्त नमुने को Substandard प्रतिवेदित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अभिहित पदाधिकारी, जामताड़ा के पत्रांक-07/खाद्य, दिनांक-06.02.2020 के द्वारा खाद्य विश्लेषक झारखण्ड, राँची के पत्रांक-452/FSSAI/2019 दिनांक-16.09.2019 द्वारा उक्त नमुने को Food Safety and Standard Act. 2006 की धारा-3(1) (ZX) के तहत Substandard करार देते हुए धारा-51 के तहत न्यायिक निर्णनयन हेतु समर्पित किया गया। इस वाद में विपक्षी को कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु सूचना का तामिला किया गया। विपक्षी की ओर से विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि विपक्षी एक गरीब दुकानदार है। उनके द्वारा नारायणपुर के थोक बिक्रेता से बेसन खरीदा गया था। बेसन उसके द्वारा तैयार नहीं किया गया। इस छोटे दुकान से उनके परिवार का जीवन यापन चलता है। विपक्षी द्वारा क्षमायाचना करते हुए दण्डित नहीं करने का अनुरोध किया गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। नमुना का संग्रह एवं विश्लेषण हेतु अपनाये गये विधि एवं प्रक्रिया खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के संगत धाराओं के अंतर्गत है। विपक्षी/कारबारकर्त्ता के द्वारा विक्रय किये गये बेसन के नमुना में पाये गये पदार्थ की मात्रा एवं मानक मात्रा में भिन्नता पाया गया। इस प्रकार विपक्षी/कारबारकर्त्ता द्वारा Food Safety and Standard Act. 2006 की धारा-3(1) (ZX) का उल्लंघन किया गया। अतः विपक्षी/कारबारकर्त्ता भीम चन्द्र सेन, चैनपुर मारकेट, नारायणपुर, थाना-नारायणपुर, जिला-जामताड़ा को Food Safety and Standard Act. 2006 की धारा-3(1) (ZX) के तहत दोषी पाये जाने के आरोप में Food Safety and Standard Act. 2006 की धारा-51 के तहत 1000/- (एक हजार) रूपये मात्र का जुर्माना के रूप में दण्डित किया जाता है एवं कारबारकर्त्ता को कड़ी चेतावनी दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करे। लेखापित एवं संशोधित उपायुक्त, जामताड़ा। 03/12/2020 उपायुक्त, जामताड़ा। 03/12/2020	Seen 22/12/20 DB-55 22-12-20